

दिनांक 16.03.2017 को अपराह्न 4:00 बजे संयुक्त सचिव-सह-अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही-

उपस्थिति

- |                         |                                      |           |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. श्री संजय कुमार सिंह | - संयुक्त सचिव                       | - अध्यक्ष |
| 2. श्रीमति सुधा रानी    | - विशेष कार्य पदा०,                  | - सदस्य   |
| 3. श्री सुजीत कुमार राय | - संयुक्त श्रमायुक्त                 | - सदस्य   |
| 4. श्रीमति अरुणा सिन्हा | - उप निदेशक, नियोजन                  | - सदस्य   |
| 5. श्री अरुण कुमार-1    | - अवर सचिव, श्रम पक्ष                |           |
| 6. श्री सतीश कुमार शाही | - अवर सचिव, प्रशिक्षण पक्ष           |           |
| 7. श्री मुस्तफा मंसूरी  | - प्रशाखा पदाधिकारी- 03 (सरकार पक्ष) |           |
| 8. डॉ० विनायक पदमाकर    | - प्रशाखा पदाधिकारी- 01 (सरकार पक्ष) |           |
| 9. श्री देवेश कुमार     | - श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी            |           |

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/ प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :-

सरकार पक्ष (प्रशाखा-1)

सरकार पक्ष में लंबित मामलों के अनुपालन की स्थिति निम्न है-

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. डा० एस०एस० मुजफ्फरउद्दीन बलखी, यूनानी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	<u>सेवानिवृत्ति की तिथि, सेवा सम्पुष्टि, ए० सी० पी० लाभ की स्वीकृति तथा सेवा शर्त नियमावली के गठन के संबंध में-</u> पूर्व में प्रशाखा-1 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आयुष बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हो गयी है। सेवा सम्पुष्ट हो गया है एवं ए० सी० पी०/ एम०ए०सी०पी० का लाभ अधिसूचना सं०-302 दिनांक 11.02.15 द्वारा दिया जा चुका है। प्रशाखा-1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग की नयी नियमावली बनाने की कार्यवाही निदेशालय चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा के स्तर से की जा रही है। उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आयुष/यूनानी/होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नियमावली तैयार कर विभागीय संचिका- 1/ श्रम वि.ई. 8-80-01/2015 के माध्यम से निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ द्वारा विधि परामर्श हेतु विधि प्रभारी श्री अजीत कुमार सिन्हा को दिनांक 16.01.2017 को पृष्ठांकित की गई है, जो उनके स्तर पर लंबित है। प्रशाखा पदा०-1 को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया जाए।
2. डा० उषा पाण्डेय, आयुष बीमा चिकित्सा पदाधिकारी	
3. डा० सी० के० पी० सिंह, संयुक्त सचिव, बीमा चिकित्सा पदा०, सेवा संघ	<u>डायनेमिक ए० सी० पी० संबंधित नई सेवा नियमावली एवं संवर्गीय आवश्यकता आधारित रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में-</u> प्रशाखा -1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त निदेश के आलोक में बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की नयी नियमावली बनाने की कार्यवाही की जा रही है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो चुकी है। प्राधिकृत समिति के अनुमोदन हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को

	<p>पृष्ठांकित है। उक्त कार्रवाई चिकित्सा सेवार्य कर्मचारी राज्य बीमा निदेशालय से की जा रही है।</p> <p>उप निदेशक, चिकित्सा सेवार्य द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) संवर्ग नियमावली-2017 को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ गठित प्राधिकृत समिति का दिनांक-02.03.2017 को आहूत बैठक की कार्यवाही के आलोक में समिति द्वारा पुनर्विचार करने हेतु नियमावली प्रारूप विभाग को लौटा दिया गया है।</p> <p>प्रशाखा पदा0-1 को निदेश दिया गया कि इस संबंध में अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया जाए।</p>
4. श्रीमती प्रीतालाल पति-स्व0 डा0 ईश्वर लाल भूतपूर्व बीमा चिकित्सा पदा0 क0 रा0 बीमा योजना	<p><b>मृत्युपरान्त मिलने वाली पावनाओं के संबंध में-</b></p> <p>प्रशाखा पदा0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आवेदन पर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लंबित है। स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में लिखा गया है। प्रधान सचिव के स्तर से पत्रांक-3015 दिनांक- 18.10.2016 द्वारा स्मारित भी किया गया है। पुनः स्मारित करने का प्रस्ताव उपस्थापित किया जा रहा है।</p> <p>प्रशाखा पदा0-1 को निदेश दिया गया कि पुनः प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के स्तर से प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को स्मारित किया जाए एवं तदनुसार सूचना प्राप्त कर समिति को अवगत कराया जाए।</p>
5. श्री कृष्णदेव सिंह सेवानिवृत्त प्रभारी, उप निदेशक, नियोजन, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	<p><b>दिनांक 01.04.1994 के प्रभाव से उप निदेशक, नियोजन के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में-</b></p> <p>प्रशाखा पदा0-1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह के आवेदन के आलोक में प्रोन्नति विचारणीय है। विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त कर तदालोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई अपेक्षित है। विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष इनके मामले को रखने की कार्रवाई की जा रही है।</p> <p>प्रशाखा पदा0-1 को निदेश दिया गया कि मामले के निष्पादन में काफी विलम्ब हो गया है। अतः इसका शीघ्र निष्पादन कराया जाए।</p>
6. श्री श्याम प्रसाद सिन्हा सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0)	<p><b>वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग द्वारा निर्धारित वेतनादि का लाभ नहीं मिलने के संबंध में-</b></p> <p>प्रशाखा पदा0-1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिन्हा के आवेदन के आलोक में सेवा सम्पुष्टि से संबंधित आदेश निर्गत किया जा चुका है। आवेदक के ग्रेड पे में उत्क्रमण हेतु संचिका उपस्थापित की जा रही है।</p> <p>प्रशाखा पदा0-1 को निदेश दिया गया कि आवेदक के आवेदन के आलोक में सभी कार्रवाई पूरी कर मामले का निष्पादन कराया जाए।</p>
7. सचिव, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संगठन, पटना।	<p><b>बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के प्राचार्य संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि के संबंध में-</b></p> <p>प्रशाखा पदा0-1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण सेवा सम्पुष्टि नहीं हो पा रही थी। महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में बिना विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए संपुष्टि का निर्णय लिया जा चुका है। चारित्री/आरोप की सूचना प्राप्त हो गई है एवं संचिका उपस्थापित की जा रही है।</p> <p>प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आवेदकों के सेवा सम्पुष्टि के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करते हुए मामले का निष्पादन कराया जाय।</p>
8. अतुल रंजन एवं अन्य प्राचार्य/उप प्राचार्य संवर्ग	

<p>9. श्री सूर्यमोहन सिन्हा उच्च वर्गीय लिपिक, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना</p>	<p><b>विभाग द्वारा सहायक निदेशक, नियोजन के पद पर प्रोन्नति हेतु किए गए डी0पी0सी0 पर रोक लगाने के संबंध में-</b></p> <p>प्रशाखा -1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सूर्यमोहन सिन्हा के अभ्यावेदन के आलोक में इनके अनुरोध को नियमानुसार अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया तथा विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत कर श्री संजय कुमार सिन्हा को सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति दी जा चुकी है। बैठक में उपस्थित उप निदेशक, नियोजन ने प्रतिवेदित किया है कि श्री सूर्यमोहन सिन्हा के आवेदन को विभागीय स्तर पर अस्वीकृत किया जा चुका है तथा आवेदक श्री सूर्य मोहन सिन्हा ने प्रोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है।</p> <p>प्रशाखा-01 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मामले को निष्पादित मानते हुए इसे सूची विलोपित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में आवेदक द्वारा दायर वाद में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में समिति का निर्णय तदनुसार प्रभावित होगा।</p>
<p>10. डॉ० कमलेश्वर नारायण अग्रवाल सेवा निवृत्त, क्षे0प्र0चि0 पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार</p>	<p><b>अधिकाल प्रवर कोटि(2.5%) में दिनांक 01.04.1987 से लंबित प्रोन्नति के संबंध में-</b></p> <p>प्रशाखा पदा0-1 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 अग्रवाल के प्रवर कोटि प्रोन्नति से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। लगभग 40 पदाधिकारी के साथ इनके मामले को रखा जा रहा है।</p> <p>प्रशाखा पदा0-1 को निदेश दिया गया कि मामले के निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए कृत कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।</p>

### श्रम पक्ष

श्रम पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है-

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
<p>1. श्री राधा बिहारी प्रसाद सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्तन पदा0</p>	<p><b>वेतन विमुक्ति, वेतन वृद्धि तथा ए0सी0पी0 का लाभ देने के संबंध में।</b></p> <p>श्रम पक्ष द्वारा विगत बैठक में प्रतिवेदित किया गया था कि आवेदक के ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति के संबंध में दिनांक 06.10.2016 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की बैठक में इनके मामले को विचारित करते हुए अस्वीकृत करने का निर्णय हुआ है। वेतन विमुक्ति, वेतन वृद्धि के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।</p> <p>श्रम पक्ष द्वारा पुनः प्रतिवेदन दिया गया है कि आवेदक के लंबित वेतन के संबंध में उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पत्रांक-5490 दिनांक 30.12.2016 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई है। इसके फलाफल के बाद अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। इसी आशय का प्रतिशपथ पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दायर वाद में किया गया है। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निर्णय हेतु संचिका उपस्थापित है।</p> <p>अवर सचिव श्रम पक्ष को निदेश दिया गया कि इस संबंध में लिए गए निर्णय के फलाफल से समिति को अवगत कराया जाए।</p>

